

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादश

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०प०एस०

समवान

प्रकाश वनाम मनीराम आदि

नामा बाबत :- 88 R.A.C

मुक्तमा नम्बर :- 265/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से वकील अरुण कुमार की व प्रतिवादी सं० 15117 की ओर से वकील मनीराम चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-2021 को मुद्दा शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादश के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रही मौजा किकरखी के खाता सं० 95/96 के खसरा सं० 34 की 6.108 है, खसरा सं० 35 की 2.213 है, खसरा सं० 62 की 3.794 है कुल 12.115 है कारणों खातेदारी प्रतिवादी संग मनीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संग मनीराम का नाम कलमपत्र किया जाकर वादी प्रकाश व प्रतिवादी सं० 2 राजेश कुमार को बहिस्ता कराकर के खातेदार का इलाका घोषित किया जाते है मुक्ति प्रतिवादी संग व उता 7 न अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर चुके कर लिया है इसलिए त्याग किसे जैस हिस्से पर पंजीयन विभाग को दस पंजीयन मुक्त एवं स्थाय्य उभरी उदा करण व यदि कृषि भूमि वन के खेती व रवामुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में इमप्ल रसम किया जावे राजीनामा को सिद्धी का मांग पठा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (शिविर प्रभारी R.A.S.)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादश, जिला हनुमानगढ़
 कुटी